अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 107 / 2012** **अजय कच्छप (प्रतिस्थापित) व अन्य बनाम् श्रीमती अन्ना लकड़ा** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–151–R15/2000-2001 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में मूल आवेदक बिजला कच्छप की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसों को प्रतिस्थापित किया गया। उभय पक्षों को सुनवाई के पश्चात् लिखित बहस दायर करने हेतु मौका दिया गया, किन्तु केवल विपक्षियों के तरफ से लिखित बहस दायर की गयी। उभयपक्षों के तरफ से की गयी सुनवाई एवं लिखित बहस से यह स्पष्ट होता है कि एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–89 / 1999–2000 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा मौजा–हिनू, खाता नम्बर–100, प्लॉट नम्बर–596, रकबा–15 कट्ठा के भूमि वापसी के दावे को अस्वीकृत किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी आदेश को सम्पुष्ट किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। प्रश्नगत् विवादित भूमि बिजला उरांव, कोल्हा उरांव, बुधवा उरांव एवं डोम उरांव के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। आवेदक इन्हीं रैयतों के वारिस है। एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–235 / 1992–93 में आवेदकों को प्लॉट–1596 के 50 डिसमिल भूमि के वापसी का आदेश एवं दखल दिहानी प्राप्त हो चुकी है। उभय पक्षों के बीच एक अन्य एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–333 / 94 दायर हुआ था, जिसका आदेश इस वाद में एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। उक्त भूमि वापसी वाद में विपक्षी मनोज कुमार सिंह को आवेदक बिजला कच्छप के सहमति से 10 कट्ठा भूमि जो संलग्न प्लॉट–2445 में अवस्थित है, उपलब्ध करायी जा चुकी है। उभयपक्षों की सहमति एवं संतुष्टि के पश्चात् इस भूमि वापसी वाद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जमीन के बदले जमीन आदिवासी रैयत के प्राप्त की जा चुकी थी। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुये पुनः आवेदकों के तरफ से भूमि वापसी वाद–89 / 1999–2000 दायर किया गया। आवेदकों का दावा है कि भूमि वापसी	

3

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	वाद संख्या–333/1994 में उनके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से प्राप्त करते हुये गलत निबंधित केवाला प्रस्तुत कर दिये गये। इसी आधार पर उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी। स्पष्टतः यह दावा मान्य करने का कोई आधार नहीं है। उक्त वाद के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उभयपक्षों की सहमति से ठीक बगल वाले प्लॉट में अवस्थित गैर आदिवासी भूमि बिजला कच्छप को उपलब्ध करायी गयी। इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण दायर नहीं हुआ। अतः यह आदेश अंतिम स्वरूप प्राप्त कर चुका है। पुनः उसी भूमि के लिये भू–वापसी आवेदन दायर किया जाना स्पष्टतः रेस–जूड़ी कांटा के तहत् आता है। वर्तमान वाद के विपक्षी द्वारा 04 कट्ठा भूमि निबंधित केवाला से दिनांक–11.03.1997 को मनोज कुमार सिंह से क्रय की गयी। जिसके पश्चात् उनके नाम से नामान्तरण एवं Municipal Holding कायम है। निम्न् न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुये आदेश पारित किये गये है। विपक्षी द्वारा विवादित जमीन को किसी प्रकार के छल–प्रपंच आदि से प्राप्त नहीं किया गया है, यद्यपि भूमि वापसी वाद संख्या–333/1994–95 में भूमि के बदले अन्य भूमि उपलब्ध कराते हुये इस विषय को समाप्त किया जा चुका था। आवेदकों के द्वारा वाद संख्या–333/94 के संबंध में पूर्णतः गलत उल्लेख न्यायालयों में किये जाते रहे है। वर्णित तथ्यों के आलोक में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित Kumari 18/4/12 प्रमण्डलीय आयुक्त Kumari 18/4/12 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.03 15:45:49 +05:30
Location: 192.168.1.40